

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /  
प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम पाँच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय-जाप संख्या 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 (वेब साइट [shasanadesh.up.nic.in](http://shasanadesh.up.nic.in) पर भी उपलब्ध) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम पाँच माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।

2- उपरोक्त आदेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 की लेखानुदान अवधि में समस्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ "2017-2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" साहित्य में अंकित अनुदानों के समक्ष लेखानुदान के लिये अंकित आवश्यक धनराशि की सीमा के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों द्वारा सक्षम स्तर (विभागीय मंत्री / माननीय मुख्यमंत्री जी) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जारी की जायेंगी ।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अन्तरिम बजट का विस्तृत विवरण वित्त विभाग की वेब साइट [budget.up.nic.in](http://budget.up.nic.in) पर उपलब्ध है ।

3- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर 10(i) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर, 2017 से पूर्व नहीं किया जाना है, अतः लेखानुदान अवधि के लिये मानक मद 52-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) तथा 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) में व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां जारी न की जाये ।

4- वित्तीय वर्ष 2017-2018 की लेखानुदान अवधि में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त कार्यालय जाप दिनांक 02 जनवरी, 2017 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय

अपर मुख्य सचिव

एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 3/2017/बी-1-348(1)/दस-2017-231/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 6- वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग एवं उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
- 7- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 8- गार्ड फाईल ।

भवदीय,

लहरी यादव

वित्तीय सलाहकार (बजट)

एवं विशेष सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।